


क्षतिपूर्ति बंधक – पत्र



मैं 0 निदेशक

..... पंजीकृत कार्यालय

..... का हूँ। मैं इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से शपथ लेता हूँ और क्षतिपूर्ति करता हूँ कि :-

01. कि मैं इसके नीचे वर्णित भूमि जिसके लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन गैर कृषिक प्रयोजन के लिये अनुज्ञा/संपरिवर्तित भूमि के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है का खातेदार हूँ।

क्र.स.	भूमि के ब्यौरे (ग्राम और खसरा नम्बर)	क्षेत्र

02. कि मैं मामले में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मंजमर अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानि यदि कोई हो के लिये स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करने के लिये स्वयं को पाबन्द करता हूँ।
03. कि मैं स्कीम के अनुमोदन के कारण मामले में पैदा हुए किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप से कारित किसी हानि यदि कोई हो, के लिये स्थानीय प्राधिकारी के क्षतिपूर्ति करने के लिये स्वयं को पाबन्द करता हूँ।
04. कि स्थानीय प्राधिकारी के आवेदक की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की स्कीम के निरस्त करने और अनुज्ञा को प्रत्याह्त करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया को किसी को कारित किसी अधीन हानि के लिये दायी होगा।

आवेदक